न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 121/2018 अपील (RCMS/2018/00133)
पंजीयन दिनांक — 27.08.2018
निर्णय दिनांक — 24.03.2020

1. श्री कुका पिता श्री मोती जी डांगी, निवासी गंदोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्री केसु पिता श्री मोती जी डांगी, निवासी गंदोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती सोहनी पत्नि नगा जी डांगी निवासी पलना कला, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती मीरा पत्नि दौला डांगी, निवासी काटका का कुआं, महाराज की खेडी, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
3. श्रीती दौली पत्नि डालु डांगी, निवासी जुनावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर
5. पटवारी, पटवार हल्का सागवा, मावली तहसील मावली जिला उदयपुर

—प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः—
1. श्री खेमराज डांगी — वकील अपीलार्थी

प्रकरण संख्या—04/2016, सोहनी बनाम कुका में न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) मावली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2018 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—76 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.03.2020

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) मावली द्वारा प्रकरण संख्या—04/2016, सोहनी बनाम कुका में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है—

- अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) मावली समक्ष प्रश्नगत अपील के प्रत्यर्थी संख्या—1, 2 व 3 क्रमशः सोहनी, मीरा व दौली ने ग्राम पंचायत सांगवा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या—07 दिनांक 18.04.1975 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—75 भू—राजस्व अधिनियम की पेश की और कथन किया कि

ग्राम गन्दोली पटवारा हल्का में स्थित विभिन्न आराजीयात की भूमि कुल किता 18 रकबा 16 बीघा एवं किता 50 रकबा 33 बीघा 10 बिस्वा भूमि में रामा पिता नन्दा डांगी 1/3 हिस्से से दर्ज थी। रामा के पुत्र श्री हवा की पत्नि दौली एवं दौ पुत्रियां मीरा व सोहनी थी। रामा का एक अन्य पुत्र मोती था, जिसके दो पुत्र कुका व केसा हुए। रामा के दौनो पुत्रों की मृत्यु वर्ष 1974 में हुई। हवा की पत्नि सोहनी एवं दौ पुत्रियां मीरा व दौली उसकी विधिक वारिसान थे, परन्तु ग्राम पंचायत सांगवा द्वारा उक्त भूमि का नामान्तकरण संख्या–07 केवल कुका व केसा के नाम स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हवा की पत्नि दौली को नहीं थी क्योंकि वह अनपढ महिला होकर कानूनी कार्यवाही अनभिज्ञ थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष सोहनी, मीरा व दौली द्वारा सभी वारिसों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किये जाने से नामान्तरकरण संख्या–7 निरस्त करने की अपील की।

- अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) मावली द्वारा उक्त प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 कैंप सांगवा में निर्णय दिनांक 30.05.2018 से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि प्रकरण में साक्ष्य गवाह बयान आदि के आधार पर विधिक वारिसान की जांच कर निर्णय पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) मावली द्वारा पारित निर्णय 30.05.2018 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 27.08.2018 को मयाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई। यह मयाद के बिन्दु पर आपत्ति रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोंडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं, परन्तु रेस्पोडेंट संख्या–1, 2, 3 की लिखित बहस पूर्व में प्राप्त। दिनांक 03.03.2020 को वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय में प्रस्तुत सजरा गलत पेश किया गया है। कथित दौली, अपने पूर्व पति श्री हवा की मृत्यु के बाद श्री डालु डांगी जुनावास के साथ नाते चली गई। हवा डांगी लाऔलाद फौत हुआ। डालु के सोहनी एवं मीरा के अलावा दौ पुत्र एवं 5 पुत्रियां ओर है जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा हवा के लाऔलाद फौत हो जाने से एवं दौली के नाते चले से अपीलार्थी के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने से विधि सम्मत नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उल्लेखनीय है कि श्री डालु की मृत्यु के उपरान्त रेस्पोडेंट संख्या–1, 2, 3 द्वारा उसके वारिसान होने से डालु की विरासत उनके नाम दर्ज हुई। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय समक्ष रेस्पोडेंट संख्या–1, 2, 3 ने अपने आप को हवा का वारिस बताकर अधीनस्थ न्यायालय में गलत अपील प्रस्तुत की जो 43 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई जो मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जानी थी परन्तु बिना आधार के अन्दर मयाद शुमार की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण कैम्प कोर्ट में रखा गया जिसकी सूचना

अपीलार्थी को नहीं दी गई और अपने निर्णय में उभय पक्ष उपस्थित का अंकन कर दिया गया। चुंकि अपीलार्थी को प्रकरण कैंप कोर्ट में रखे जाने की कोई सुचना नहीं होने से आलौच्य आदेश की जानकारी न हो सकी। जानकारी होते ही निर्णय प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अपील अन्दर शुमार किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र धारा–5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत कर देरी को उपशमन किये जाने का अनुरोध किया। अन्त में उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या–7 को यथावत रखा जावें।

रेस्पोडेंट संख्या–1, 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत की गई लिखित बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि अनुरूप है। आलौच्य नामान्तरकरण की अपील स्व. श्री रामा डांगी की विरासत से दर्ज हुई आराजीयात के सम्बन्ध में है जो कि ग्राम पंचायत सांगवा द्वारा खोला गया, न कि डालु डांगी निवासी जुनावास से सम्बन्धित है। वास्तविकता में श्री दौली का विवाह हवा से हुआ जिससे उसके दौ पुत्रिया सोहनी एवं मीरा हुई। हवा डांगी की मृत्यु उपरान्त अपने भविष्य को देखते हुए दौली ने डालु डांगी से नाता विवाह कर लिया। डालु के वारिसान में भगवानलाल, पुष्कर, समा, तुलसी, नकारी, गमा, टमा उक्त सभी पुत्र–पुत्रियां है, ना की हवा की पुत्र पुत्रियां तथा वह हवा की विधिक वारिसान है। इस प्रकार स्व. डालु की ग्राम जुनावास में वर्णित जमीन में उनकी मृत्यु उपरान्त विधिक वारिस होने विरासत का नामान्तरकरण उनके नाम स्वीकृत हुआ और रेस्पोडेंट संख्या–1, 2 व 3 का नाम डालु के वारिस नहीं होने से इनका नाम वारिस के रूप में दर्ज नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या–1, 2 व 3 का श्री हवा के विधिक वारिसान होने से अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। नामान्तरकरण संख्या–7 के अनुसार रामा के फौत होने पर सम्पूर्ण आराजीयात कुका, केशा के नाम दर्ज हुई परन्तु कुका व केशा, मोती के पुत्र है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस, प्रस्तुत लिखित बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में एवं दौराने बहस कथन किया कि कथित दौली, अपने पूर्व पति श्री हवा की मृत्यु के बाद श्री डालु डांगी जुनावास के साथ नाते चली गई। हवा डांगी लाऔलाद फौत हुआ। श्री डालु की मृत्यु के उपरान्त रेस्पोडेंट संख्या–1, 2, 3 द्वारा उसके वारिसान होने से डालु की विरासत उनके नाम दर्ज हुई। इसके विपरित अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 से 3 ने अपील लिखित बहस में कथन किया कि वास्तविकता में श्री दौली का विवाह हवा से हुआ जिससे उसके दौ पुत्रिया सोहनी एवं मीरा हुई। हवा डांगी की मृत्यु उपरान्त अपने भविष्य को देखते हुए दौली ने डालु डांगी से नाता विवाह कर लिया। डालु के वारिसान में भगवानलाल, पुष्कर, समा, तुलसी, नकारी, गमा, टमा उक्त सभी पुत्र–पुत्रियां है, ना की हवा की पुत्र पुत्रियां तथा वह हवा की विधिक वारिसान है। इस प्रकार स्व. डालु की ग्राम जुनावास में वर्णित जमीन में उनकी मृत्यु उपरान्त विधिक वारिस होने विरासत का नामान्तरकरण उनके नाम स्वीकृत हुआ और रेस्पोडेंट संख्या–1, 2 व 3 का

नाम डालु के वारिस नहीं होने से इनका नाम वारिस के रूप में दर्ज नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या–1, 2 व 3 का श्री हवा के विधिक वारिसान होने से अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। उभय पक्षों द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह ज्ञात हो सके कि सोहनी और मीरा, हवा डांगी की पुत्रियां है अथवा नहीं, डालु की विरासत में इनका नाम दर्ज हुआ अथवा नहीं। ग्राम पंचायत सांगवा द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृति पूर्व विधिक वारिसान की जांच की गई और सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया हो, कही प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण को पारित करने में विधिक भूल की है। ऐसे नामान्तरकरण को कभी भी चुनौती दी जा सकती है, उस पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उसके समक्ष प्रस्तुत अपील को अन्दर मयाद माने जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई। उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनगर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) मावली द्वारा ग्राम पंचायत सांगवा द्वारा पारित नामान्तकरण सं–7 दिनांक 18.04.1975 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रकरण में साक्ष्य गवाह बयान आदि के आधार पर विधिक वारिसान की जांच कर निर्णय पारित करने का आदेश प्रदान किया जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है और उसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

यहा यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि प्रश्नगत अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई और मयाद क्षम्य किये जाने बाबत कारण प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का कथित निर्णय अपीलान्ट को बिना सुने व बिना सुचना दिए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय से यह प्रकट होता है कि राजस्व लौक अदालत कैंप 2018 सांगवा में उभय पक्ष उपस्थित हुए, जिसका वर्णन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.05.2018 में किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का कथन असत्य प्रतीत होता है। अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए गए। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी अपील दायर करने के सम्बन्ध में हुई देरी हेतु सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण से न्यायालय को संतुष्ट करने में असफल रहा है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत अपील मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2020 को सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर